न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 97 / 2022 राजस्व अपील

1. प्रहलाद पुत्र हरगोविन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा।

अपीलान्ट्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 10.12.2021 उप तहसीलदार सिकन्दरा उनवानी प्रकरण सरकार बनाम प्रहलाद मुकदमा संख्या 158 / 2021 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री शिव कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः 28.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई की अपीलान्ट ने राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 0.15 है. किस्म चरागाह पर सम्वत 2078 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर अपीलान्ट को 30 दिवस के सिविल कारावास, बेदखली व पेनल्टी से दण्डित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 10.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का वर्तमान में किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का ने झूंठी मौका रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट की ओर से शपथ पूर्वक यह निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम गांवडी स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 0.15 है. पर से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया है एवं अपीलान्ट भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण व अतिचार नहीं करेगा। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने ग्राम गांवडी स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 0.15 है. पर गेहूं व सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलान्ट को 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम गांवडी स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 0.15 है. पर से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया जाना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम गांवडी उप तहसील सिकन्दरा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 0.15 है. पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिये जाने एवं भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत करने पर एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा उक्त शपथ पत्र सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.12.2021 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 10.12.2021 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा